
२लम एवं जे. जे. विभाग

दिल्ली नगर निगम

SLUM AND J. J. DEPARTMENT

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI



विवरणिका BROCHURE


भूखण्डों एवं फ्लैटों

हेतु

पट्टाधारिता (लीज-होल्ड) प्रणाली से पूर्ण स्वामित्व (फ्री-होल्ड) में परिवर्तन सम्बन्धी योजना

Scheme of Conversion from Leasehold System into-Freehold

PLOTS AND FLATS



शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जे. 20011/12/77-एल. आई. टी. दिनांक 28-6-99 तथा सं. जे. 20011/12/77 एल. आई.-2 दिनांक 2-7-99 के आदेशों के अनुपालन में स्लम एण्ड जे. जे. विभाग दिल्ली नगर निगम ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूमि पट्टाधारिता अवधि आधारित प्रणाली संबंधी योजना में भूमि/फलैटों के आबंटियों के हित में विवरणिका में निर्दिष्ट शुल्क की अदायगी होने पर पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय किया है, ये परिवर्तन शुल्क 27-12-99 तक लागू रहेंगे । परिवर्तन शुल्क अथवा उनकी प्रथम किस्त जमा कराने की तिथि ही परिवर्तन के परिपालन हेतू निर्णायक तिथि होगी ।

योजना की प्रमुख विशेषताएं तथा नियम व शर्ते

- पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन सभी ओर केवल आवासी पट्टाधारिता निर्मित सम्पतियों पर उनके आकार पर विचार किए बिना लागू किया गया है । योजना को प्रीमियम मुक्त पट्टों पर भी विस्तारित किया गया है ।
- 2. पट्टाधारिता से पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तन के लिए एकमुश्त देय शुक्क अनुलग्नक 'अ' में दर्शाए गये हैं । ये शुक्क एकमुश्त अथवा समान वार्षिक किस्तों में, जोकि अधिक से अधिक पांच वर्षों की अवधि तक हो, भुगतान किए जा सकते हैं यदि राशि का भुगतान किस्तों में हो तो 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा । सभी किस्तों के पूर्ण भुगतान उपरान्त ही परिवर्तन की अनुमति होगी । किसी भी परिस्थिति में किसी भी किस्त की अदायगी के लिए समय सीमा में छूट नहीं दी जायेगी । भूमि किराए की अन्तिम किस्त के भुगतान तक अदायगी का दायित्व बना रहेगा ।
- 50 वर्ग मीटर तक परिमाप के भूखण्डों के संबंध में कोई परिवर्तन शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा ।
- स्वतः परिवर्तन की सुविधा आबंटियों / पट्टादारों को निम्नलिखित मामलों को छोड़कर विस्तारित की गई है :-
 - (क) (1) जहां आज तक का बकाया भूमि किराया,
 संशोधित किराया अभी भुगतान किया जाना है ।
 - (2) जहां पट्टानियंत्रक अभिकरण द्वारा यदि पूर्व में मांग की गई अन्य देनदारियों का अभी भुगतान किया जाना है ।

SUBJECT : Scheme of Conversion from Leasehold tenure of land into Freehold in Delhi-Modifications in Scheme.

In pursuance of orders issued by the Ministry of Urban Development, Govt. of India, vide its Notification No. J-20011/12/77-LIT dated 28-6-99 and J-20011/12/77-LI-2 dated 2-7-99, modification in the scheme for conversion of leasehold tenure of land into freehold in N.C.T. of Delhi in the interest of allottees of land/flats on leasehold basis has been decided by the Slum & J.J.. Department MCD, on payment of conversion charges indicated in this brochure. The conversion charges shall remain applicable till 27-12-99. The date of depositing the conversion charges or the first instalment thereof will be the crucial date for purpose of calculating the conversion charges.

SALIENT FEATURES AND TERMS & CONDITIONS GOVERNING THE SCHEME

- The freehold conversion has been extended to all and only residential leasehold built-up properties irrespective of size. The scheme has also been extended to premiumfree leases.
- 2. The one-time charges payable for conversion from leasehold to freehold are set out in Annexure 'A'. These charges may be paid in lump sum or in equated annual instalments spread over a period not exceeding five years. When the payment is made in the instalments, interest calculated @ 12% per annum shall be payable. The conversion shall be allowed only after all the instalments have been duly paid. No extension of time for payment of any instalment shall be granted under any circumstances. The liability to pay ground rent shall continue to occure, till the last instalment is paid.
- No conversion fee will be chargeable in respect of plots having land area upto 50 sq. mtrs.
- 4. The facility of automatic conversion has been extended to the allottees/lessees, except in the following cases:-
 - (a) (1) where up-to-date arrears of ground rent revised ground rent are yet to be cleared.
 - (2) Other dues, if demanded earlier, by the lease administering agencies are yet to be cleared.

(3)

सम्पत्ति का स्वतः ही पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तन हो जायेगा जैसे ही उपर्युक्त (1) और (2) देनदारियों आबंटी / पट्टेदारी द्वारा भुगतान किया जाता है ।

- (ख) जहां सम्पत्ति का मालिकाना अधिकार न्यायालय में विवादित हो या पट्टेवार और पट्टानियंत्रक के बीच विवाद लम्बित हो ।
- (ग) पट्टा निर्धारित किया गया है या सम्पत्ति का पुनराधिकार किया गया है । पट्टानियंत्रक द्वारा निष्ट गिरित पुनराधिकार वापिस लेने के लिए पट्टे में दिए गए नियम एवं शर्तों के अनुपालन में पुनराधिकार को वापिस लिया जाता है । तो सम्पत्ति पूर्ण स्वामित्व में स्वतः ही परिवर्तित हो जायेगी ।
- (घ) खाली भूखण्ड ।
- (ङ) परिवर्तन केवल आबंटित/पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के संबंध में होगा । इसमें अनाधिकृत क्षेत्र सम्मिलित नहीं होगा ।
- सभी सम्पत्तियों को जिन्हें बंधक रखा गया है, बंधकी के बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र के पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।
- 6. आवेदक को भूमि किराये का बकाया 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जहां कहीं भी लागू हो, परिवर्तन की अनुमति से पूर्व जमा कराना होगा । उन मामलों में, जहां भूमि किराये की संशोधित राशि पट्टेदार को अधिसूचित कर दी जायेगी जिससे की हस्तान्तरण विलेख निष्पादन होने से पूर्व वह उसे जमा करा दे ।
- ग. परिवर्तन शुल्क की गिनती केवल 1987 की भूमिदरों पर की जायेगी और तैयार / निर्मित पलैटों के मामले में परिवर्तन शुल्क में छूट 33-1/3 प्रतिशत की दर से और सम्पत्तियों के मूल पट्टेदारों के मामले में परिवर्तन शुल्क में छूट 25 प्रतिशत तक स्वीकृत होगी ।
- अनाधिकृत निर्माण की शर्त हटा दी गई है ।
- 9. ऐसे मामलों में जहां पट्टा विलेखों / हस्तांतरण विलेखों पर हस्ताक्षर नहीं हुए होंगे वहां परिवर्तन की अनुमित इस शर्त पर होगी कि पट्टा विलेख प्रशासिनक कारणों से निष्पादित न हुआ हो न कि आंबिटयों की ओर से किन्हीं किमयों के कारण निष्पादित न हुआ हो । फिर भी ऐसे मामलों में मुद्रांक शुल्क (स्टैंप डयूटी) परिवर्तन शुल्क के ऊपर और अधिमार जहां भी लागू हो, सम्पत्ति के मूल्य / अधि—मूल्य पर भी देय होगा।
- 10. सम्पत्ति के दावे से संबंधित किसी कानूनी विवाद के मानले में कानूनी विवाद के निर्णय होने से पूर्व परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ।

The property will be automatically converted into freehold as soon as the dues at (1) & (2) above are cleared by the Allottees/Lessee.

- (b) Where the title of the property is under dispute in the court of law or there is litigation pending between the lessee and the lessor.
- (c) The lease has been determined or the property re-entered. As soon as the re-entry is withdrawn upon compliance with terms and conditions as may be prescribed by the lessor for withdrawal or re-entry under the terms of the lease, the property will be automatically converted into freehold.
- (d) Vacant plots.
- (e) The conversion will be in respect of the areas allotted/leased only and it will not cover the area encroachment.
- 5. All properties which have been mortgaged will not be converted into freehold without N.O.C. from the mortgagee.
- 6. The arrears of ground rent along with interest @ 18% per annum wherever applicable would have to be paid by the applicant before conversion can be permitted. In cases where revision of ground rent has become due, the revised amount of ground rent will be notified to the lessee for depositing the amount before the execution of the conveyance deed.
- 7. Conversion charges will be computed only at the land rate for the year 1987 and remission of conversion fee @ 33-1/3% in respect of ready /built flats and remission of conversion fee by 25% in respect of original lessees of properties will be allowed.
- 8. The condition of unauthorised construction has been waived off.
- 9. In case where lease deeds/conveyance deeds have not been signed, conversion will be allowed provided that the non-execution of the lease deed has been on account of administrative reasons and not because of certain defaults on the part of the allottees. However in such cases the stamp duty would be payable on the amount of conversion charges and the surcharge wherever applicable as well as the price/premium of the property.
- In case of any legal dispute relating to title of the property, conversion shall not be allowed until the legal dispute is settled.

- 11. जहां हस्तांतरण विलेख का अभी निष्पादन/पंजीकरण किया जा . उन लम्बित आवेदकों के मामले में भुगतान किए गए परिवर्तन शुक्क को वर्णित करने की अनुमति होगी ।
- 12. परिवर्तन की अनुमित केवल तभी होगी जब भूमिखण्ड में आवासीय भवन निर्मित किया गया हो तथा निर्माण पूरा हो गया हो । भवन के लिए 'घ' फार्म प्राप्त किया जा चुका हो । दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए उनके सेवा—अविध के लिए निवास हेतु बनाए गए निर्मित फ्लैटों पर यह परिवर्तन लागू नहीं होगा ।
- 13. ऐसे मामलों में, जिनमें पट्टादाता के पास नामांतरण अथवा प्रतिस्थापना हेतु आवेदन लंबित हो, उनमें परिवर्तन की अनुमित आवश्यक नामांतरण/प्रतिस्थापना किए जाने के पश्चात् ही दी जायेगी ।
- 14. परिवर्तन के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके साथ निर्धारित दस्तावेज संलग्न नहीं होंगे ।
- 15. मूल पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटी तथा मुख्तारनामाधारक के मध्य किसी विवाद की स्थिति में पूर्ण स्वामित्व अधिकार पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब विवाद का निर्णय हो जायेगा ।
- 16. परिवर्तन की अनुमित ऐस मामलों में भी दी जायेगी, जिनमें पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटी ने सम्पत्ति का कब्जा दे दिया हो, बशर्ते कि:-
- (र्क) परिवर्तन का आवेदन उस व्यक्ति द्वारा दिया गया हो, जिसको सम्पत्ति के हस्तान्तरण (विक्रय/अंतरण) के लिए पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटी द्वारा मुख्तारनामा दिया गया हो ।
 - (ख) सम्पत्ति के कब्जे का प्रमाण उस व्यक्ति के पक्ष में दिया गया हो जिसके नाम परिवर्तन कराया जाना है ।
 - (ग) जिन मामलों में क्रिमिक मुख्तारनामे हों, उनमें परिवर्तन की अनुमित कब्जे के तथ्यों के सत्यापन के बाद ही दी जायेगी बशर्ते की मूल पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटी की अन्तिम मुख्तारनामा धारक के साथ संबंध स्थापित हो जाए और मुख्तारनामें की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत कर दी गई हों ।
 - ऐसे मामलों की किसी नियमित पट्टेदार पर लागू सामान्य परिवर्तन प्रभारों के अतिरिक्त परिवर्तन शुल्क पर 33—1/3 प्रतिशत अधिभार देय होगा (कोई अनर्जित वृद्धि वसूल नहीं की जायेगी)।
- 17. स्लम एवं जे.जे. विभाग, दि. न. नि. के आवासी प्लैट जो खरीद-फरोख्त के आधार पर आबंटित किए गए हैं उनका सभी किश्तों का ब्याज सहित यदि कोई हो, भुगतान करने के पश्चात् ही परिवर्तन की अनुमति दी जायेगी।
- 18. भूमि के मल्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुलग्नक 'सी' में दिया गया है। जिन बस्तियों के मूल्य अनुलग्नक 'सी' में नहीं दिए गए उनका मूल्यांकन साथ लगती हुई बस्तियों के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा।

- Refund of conversion fee paid in respect of pending applicants where conveyance deeds are yet to be executed/ registered, will be allowed.
- 12. Conversion would be allowed only when the residential building on the plot has been constructed and completion 'D' Form for the building has been obtained. It is not applicable to built up residential flats, built up by the MCD for the residence of its employees during the tenure of their services.
- 13. In cases where applications for mutation or substitution are pending with the lessor, conversion would be allowed only after necessary mutation/substitution has been carried out.
- The application for conversion shall not be entertained unless accompanied by prescribed documents.
- 15. In case of any dispute between the original lessee/ sub-lessee/allottee and Power of Attorney holder, application for grant of freehold rights would be entertained only after the dispute is settled.
- 16. The conversion shall also be allowed in the cases where lessee/sub-lessee/allottee has parted with the possession of the property, provided that:-
 - (a) Application for conversion is made by a person holding Power of Attorney from lessee/sublessee/allottee to Alienate (sell/transfer) the property.
 - (b) Proof is given of possession of the property in favour of person in whose name conversion is being sought.
 - (c) Where there are successive power of Attorneys conversion will be allowed after verifying the factum of possession provided that the linkage of original lessee/sub-lessee/allottee with the last Power of Attorney is established and attested copies of Power of Attorneys are submitted.
 - In such cases, a surcharge of 33-1/3% on the conversion fee would be payable over and above the normal conversion charges applicable for a regular lessee (no unearned increase will be recoverable).
 - 17. In case of the Slum & J.J. Department, MCD residential flats allotted on hire-purchase basis, conversion shall be allowed only after all the instalments have been paid with interest, if any.
- 18. The land rates for different areas have been given in Annexure 'C', the localities for which land rates have not been given in Annexure 'C' land rates of the adjoining/ comparable locality would be applicable.

19. आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने का समय वांछित परिवर्तन शुल्क और अधिभार जो लागू हो के साथ 200/— रुपये प्रक्रियात्मक शुल्क जमा कराना आवश्यक होंगे ।

20. भुगतान विधि चैक (वास्तविकता की शर्त पर) बैंक ड्राफ्ट भुगतान आवेशों द्वारा अधिमान्य होगी जो दिल्ली में देय हों, द्वारा होगी । नकद राशि भी स्वाकार की जायेगी । जमा करायी जाने वाली राशि निकटतम पूरे रुपयों में ही हो । आवेदन—पत्र और परिवर्तन प्रभार जमा करवाने के बाद आवेदकों को पावती अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए जोकि भविष्य में भुगतान के प्रमाण के उल्लेख हेतु काम आये ।

परिवर्तन प्रभार और अधिकार, जहां भी लागू हों, एकमुश्त अथवा अधिकतम पांच समान किश्तों में जमा किये जा सकतें हैं (प्रथम और उसके बाद की किस्तों की राशि का हिसाब लगाने का सूत्र अनुलग्नक क—'छ' (जी) में दिया गया है । आवेदक द्वारा चुनी गयी भुगतान योजना के अनुसार ही समान वार्षिक किस्तों की सही राशि का हिसाब लगया जा सकता है) ।

परिवर्तन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की पद्धति

निर्धारित आवेदन—प्रपन्न सहित विवरणिका नविष्य में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक 50/— रु. के भुगतान पर उप—निदेशक (एल.एण्ड एल.) स्लम एवं जे.जे. विभाग, दि.न.नि. के कार्यालय से बिक्री के लिये उपलब्ध होंगे ।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने स्लभ एण्ड जे.जे. विभाग, दिल्ली नगर निगम में अपनी सम्पत्तियों से सम्बन्धित आवेदन—प्रपत्र ही प्राप्त किये हैं और निर्धारित दस्तावेजों तथा परिवर्तन एवं अन्य प्रभारों के साथ प्रस्तुत कर दिये हैं ।

सभी प्रकार से विधिवत् भरे हुए आवेदन—प्रपत्र, निर्धारित परिवर्तन एवं अन्य प्रभारों के साथ किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक उप—निदेशक (एल.एण्ड एल.) स्लम एवं जे.जे. विभाग, दि. न.नि. के कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं।

यदि कोई भी आवेदन-पत्र किसी भी रूप में अघूरा या दोषपूर्ण पाया जाएगा तो आवेदक को 15 दिन की अवधि के अन्दर आवेदन-पत्र के साथ संलग्न न किए गए दस्तावेजों को लगाने और दोषों को दूर करने के लिए एक अवसर विचा जाएगा । निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदक द्वारा दोषों को ठीक न किए जाने पर आवेदन-पत्र रद्द माना जाएगा । जो भी आवेदन-पत्र ठीक होंगे उन सभी को निर्धारित औपचारिकताएं पूरा होने की तारीख से अधिकतम 90 दिन के अन्दर-अन्दर निपटा दिया जाएगा । इस्तांतरण विलेख उस आवेदक / व्यक्ति, जिसके नाम परिवर्तन कराने की इच्छा व्यक्त की गई है, के पास पंजीकृत डाक से भेज दिया जाएगा । इसके बाद प्राप्तकर्ता, हस्तांतरण विलेख पर स्टैम्प समाहर्ता से स्टैम्प लगवाएंगे और उसे प्राप्त करने के 45 दिन के अन्दर प्राधिकृत

- 19. The requisite conversion charges and surcharges applicable along with processing fee of Rs. 200 required to be deposited at the time of submission of application form.
- Mode of remittance shall be preferably by Cheque (subject to realization), pay order, bank draft payable at Delhi. Cash will also be accepted.

The amount of remittance has to be rounded off to the nearest rupee. After depositing the application form and the conversion charges, applicants must ensure to obtain an acknowledgment to serve as proof of payment for their future reference.

The conversion charges, and surcharge wherever applicable can be deposited either in lump sum or in not more than five equated annual instalments (Annexure 'G' gives the formula for working out the amount payable by way of first and subsequent instalments. The exact amount of the equated annual instalments can be worked out accordingly depending upon the payment plan chosen by the applicant.)

PROCEDURE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS FOR CONVERSION

The brochure along with prescribed application form will be available for sale on payment of Rs. 50/- from onwards at Office of Dy. Dir. (L and L) Slum & J.J. Department MCD, B Block Vikas Kutir, Delhi between 10:00 a.m. to 3:00 p.m. on any working day.

Applicants are advised to ensure that the application form relevant to their properties in the Slum & J.J. Department MCD is procured and filed along with the prescribed documents and conversion and other charges.

The application form duly complete in all respects, along with prescribed conversion and other charges may be deposited at office of Dy. Dir. (L and L) Slum & J.J. Department MCD, B Block Vikas Kutir, Delhi between 10:00 a.m. to 3:00 p.m. on any working day.

If any application is found incomplete or defective in any manner, the applicant shall be afforded an opportunity to furnish the prescribed documents not enclosed to the application and to remove the defects within a period of 15 days. On the failure of the applicant to remove the defects within the period specified, the application shall be deemed to have been rejected. Application found in order will be disposed of within a maximum period of 90 days from the date on which the prescribed formalities are completed. Conveyance deed shall be sent to the applicant/person in whose name conversion is sought by registered post. The recipient shall then get it stamped from Collector of Stamps and

अधिकारी के हस्ताक्षर के लिए उपनिदेशक (एल एण्ड एल) कार्यालय में जमा एंगे हस्तांतरण विलेख प्राप्त करने के समय एक तारीख दी जार्मा जिस दिन आवेदन—कर्त्ता उप—िनदेशक (एल.एण्ड एल.) कार्यालय से हस्ताक्षरित, हस्तांतरण विलेख प्राप्त कर सकते हैं । उसके बाद प्राप्तकर्त्ता के हस्तांतरण विलेख को संबंधित उप—पंजीकार के पास पंजीकृत करवाना होगा । स्टैम्प शुक्क और पंजीकरण प्रभारों का वहन उसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसके नाम परिवर्तन करने की अनुमित दी गई होगी।

यदि उस आवेदक / व्यक्ति, जिसके नाम परिवर्तन कराने की इच्छा व्यक्त की गयी हो, को हस्तांतरण विलेख 90 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो वह स्कीम के उप-निदेशक (एल.एण्ड एल.) से सम्पर्क कर सकते / सकती हैं।

जमा कराये जाने वाले दस्तावेज

आवेदक को आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

- (क) निर्धारित आरूप (फॉर्मेंट) में नोटेरी पब्लिक / प्रथमें श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् सत्यापित वचन-पत्र [अनुलग्नक-'त' (एम)]
 - (ख) निर्धारित आरूप (फॉर्मेट) में नोटेरी पब्लिक / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् सत्यापित वचन-पत्र [अनुलग्नक-'थ' (एन)]
 - (ग) निर्धारित आरूप (फॉर्मेट) में नोटेरी पब्लिक / प्रथम श्रेणी मिजस्ट्रेट द्वारा विधिवत् सत्यापित क्षतिपूर्ति बंधपक्ष [अनुलग्नक—'द' एवं 'द द' ('ओ' एवं 'ओ ओ')]
 - (घ) नोटेरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी विधिवत् सत्यापित विक्रय करार सहित मुख्तारनामे की प्रति (जहां आवेदन-पत्र अटॉर्नी द्वारा दिया गया हो) ।
 - (ङ) नोटेरी पब्लिक / प्रथम श्रेणी मिजस्ट्रेट द्वारा विधिवत् सत्यापित समापन प्रमाण-पत्र / "डी" फार्म (सभी भूखण्डों के मामलों में) ।
 - (च) जिस व्यक्ति के नाम परिवर्तन करवाना है, उसका वास्तविक कब्जे का प्रमाण यथा अधिमोग—पत्र अथवा पर्ची / गृहकर रसीद / राशन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राईविंग लाइसैंस आदि की प्रतिलिपि, जो नोटेरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित होना चाहिए।
 - (छ) जिसके पक्ष में परिवर्तन किया जाना हो उस व्यक्ति के पासपोर्ट आकार के सत्यापित चार फोटो और सत्यापित चार नमूना हस्ताक्षर जो अनुलग्नक 'भ' (पी) के अनुसार राजपन्नित अधिकारी / नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत् सत्यापित हो (यदि आवेदक आबंटी / उप-पटटेदार / पटटेदार हो तो उसके फोटो,

submit it within 45 days from the date thereof at office of Dy. Dir. (L and L) Slum & J.J. Department MCD, B Block Vikas Kutir, Delhi, for signatures of the authorised person. At the time of receipt of the conveyance deed, a date will be given on which the signed conveyance deed can be collected from office of Dy. Dir. (L and L) Slum & J.J. Department MCD, B Block Vikas Kutir, Delhi. Thereafter, the recipient shall get the conveyance deed registered with the concerned sub-registrar. Stamp duty i.e. stamp duty under the Stamp Act and transfer duty under the DMC Act and registration charges shall be payable by the person in whose favour the conversion is sought.

In case, the conveyance deed is not received by an applicant/person in whose favour conversion has been sought within a period of 90 days, he/she may contact the Dy. Dir. (L and L) Slum & J.J. Department MCD, B Block Vikas Kutir, Delhi

BOCUMENTS REQUIRED TO BE SUBMITTED

The applicant shall be required to furnish the following documents along with the application form:-

- (a) Undertaking in prescribed format duly vattested by Notary Public/First Class magistrate (Annxure 'M").
- Affidavit in prescribed format, duly attested by Notary Public/First Class Magistrate (Annexure 'N').
- (c) Indemnity Bond(s) in prescribed format(s) value attested by Notary Public/First Class Magistrate (Annexure 'O' & 'OO').
- (d) Copy of attorney(s) along with copy of sale agreement (where the application is made by attorney) duly attested by Notary Public/
 First Class Magistrate.
- (e) Copy of Completion Certificate/'D' form (in respect of all plots) duly attested by Notary Public/First Class Magistrate.
 - (f) Proof of physical possession by the person in whose name the conversion is sought viz. copy of possession letter or slip/house tax receipt/ration card/passport/driving licence etc. duly attested by the Notary Public/ Gazetted Officer.
 - (g) Four attested passport size photographs and four attested specimen signatures of the person in whose favour the conversion is sought duly attested by a Gazetted Officer Notary Public as per Annexure 'P (if the applicant is allottee/sub-lessee/lessee, then his/her photograph and in case of applicant

और यदि आवेदक की अटॉर्नी हो तो आवेदन—प्रपत्र के स्तम्भ (कॉलम) "3" में नामित व्यक्ति के फोटो जमा करने अपेक्षित हैं।

- (ज) भूमि किराये का विवरण अनुलग्नक 'म' (क्यू) के अनुसार होगा ।
- (झ) नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित पट्टा विलेख/उप-पट्टा विलेख/हस्तांतरण विलेख/आबंटन-पत्र/मांग-पत्र की प्रतिलिपि ।

आवेदन-प्रपत्र भरने हेतु दिशा निर्देश

कॉलम-1

यदि, सम्पति का केवल एक आबंटी / उप-पट्टेदार / पट्टेदार हो जो उसे पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तित करवाना चाहता हो तो उसका नाम और अन्य विवरण उप-कॉलम (क) में दिये जाने चाहिए । यदि दो आबंटी / उप-पट्टेदार / पट्टेदार हो तो उनके नाम और अन्य विवरण उप-कॉलम (क) और (ख) में अलग-अलग दिये जाने चाहिए । यदि दो से अधिक पट्टेदार / उप-पट्टेदार / आबंटी हों तो उनके अपेक्षित विवरणों के युक्त एक कागज अलग से संलग्न किया जाना चाहिए ।

कॉलम-2

यदि पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटी की ओर से विक्रय अनुमित लेने, विक्रय विलेख निष्पादित कराने और उसे पंजीकृत कराने के लिए विधिवत् प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसके विवरणों का इस कॉलम में उल्लेख किया जाना चाहिए तथापि, ऐसे मामलों में पहले कॉलम को भी भरना होगा । यदि उत्तरवर्ती अटॉर्नी हो तो कंवल अन्तिम अटॉर्नी के आवेदन-पत्र पर ही विचार किया जाएगा बशर्ती कि मूल पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटी और आवेदक/अन्तिम अटॉर्नी का सम्बन्ध स्थापित करते हुए सभी मुख्तारनामों की सत्यापित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हों ।

कॉलम-3

यह कॉलम केवल उन्हीं मामलों में लागू है जहां पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में आबंटन कराया जाना हो और आवेदन-पत्र अटॉर्नी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तथापि यह आवश्यक होगा कि उस व्यक्ति, जिसके पक्ष में परिवर्तन कराया जाना हो, के पास उसके पक्ष में निष्पादित वैध विक्रय करार के अन्तर्गत सम्पति का वास्तविक कब्जा होना चाहिए।

कॉलग-4

उप-कॉलम (II) के अन्तर्गत कॉलम तीन में नामित व्यक्ति के पास कब्जे के प्रमाण के लिए कुछ प्रमाणित दस्तावेज यथा राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग-लाईसेन्स आदि की सत्यापित फोटो-प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए । उप-कॉलम (III) के अन्तर्गत बेचने के लिए करारनामे अथवा किसी अन्य प्रमाणिक दस्तावेज की सत्यापित सत्यप्रतियां

being an attorney, photographs of the personnamed in Column 3 of the application for are required to be submitted).

 (h) Details of payment of ground rent as per Annexure 'Q'.

(i) Copy of lease deed/sub-lease deed/
conveyance deed/allotment letter/demand letter, duly attested by Notary Public/
Gazetted Officer.

GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM

Column 1

If there is only one allottee/sub-lessee/lessee of the property sought to be converted into freehold, his name and other particulars should be given in sub-column (a). If there are two allottees/sub-lessees/lessees, the name and other particulars should be given separately in sub-columns (a) & (b). If there are more than two lessees/sub-lessees/allottees, a separate sheet be attached giving the required particulars.

Column 2

If the application is submitted by an attorney duly authorised to seek sale permission, execute the sale deed and get it registered on behalf of the lessee/sub-lessee/allottee, his particulars should be given in this column. However, first column also shall be filled up in such cases. if there are successive power of attorneys, the application shall be entertained only from the last Attorney, provided that attested copies of all the Power of Attorneys establishing the linkage between the original lessee/sub-lessee/allottee and the applicant/last attorney are submitted.

Column 3

This column is applicable only in cases where conversion is sought in favour of a person other than the lessee/sub-lessee/allottee and the application is submitted by the Attorney. It would, however, be necessary that the person in whose favour the conversion is sought is in physical possession of the property under a valid agreement to sell executed in his/her favour.

Column 4

Under sub-column (ii), some authentic document viz. attested photocopy of the Ration Card, Passport, Driving Licence etc. should be submitted in proof of possession with the person named in column No. 3 Under sub-column (iii), attested true copy of agreement to sell or any other authentic document showing that the person named in

प्र पत की जानी अपेक्षित हैं जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि कॉलम (a) में नामित किए गए व्यक्ति ने सम्पति के खरीदने की सहमति पहले से दे दी है।

कॉलम 14 और 15

परिवर्तन के लिए आवेदन करने से पहले अद्यतन भू-किराया और उसके साथ भू-किराये पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान करना आवश्यक है।

कॉलम 16

आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह परिवर्तन प्रभार अनुलग्नक 'क' (ए) में दिये गये फार्मूले के अनुसार ध्यानपूर्वक निर्धारण कर लें । भूखण्डों के सम्बन्ध में लागू होने वाली अधिसूचित दरें अनुलग्नक 'ग' (सी) में दी गई हैं ।

कॉलम-17

उन मामलों में जहां आवेदन—पत्र पट्टेदार/उप—पट्टेदार/आबंटी के अटॉर्नी द्वारा प्रस्तुत किया जाए और आबंटी/पट्टेदार/उप—पट्टेदार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में परिवर्तन करवाना हो, तो अधि ।भार का भुगतान करना होगा । अधिभार राशि निर्धारित परिवर्तन प्रभारों का 33-1/3% है ।

कॉलम-18

आवेदक को विकल्प दिया गया है कि वह अपेक्षित प्रभारों अर्थात् परिवर्तन प्रभारों और अतिरिक्त परिवर्तन प्रभारों और /अथवा अधिभारों, जहां लागू हो, का भुगतान एकमुश्त अथवा समान वार्षिक किस्तों में कर सकता है । यदि आवेदक किस्तों में भुगतान करने का विकल्प लेता है तो उसे 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा । आवेदक के विकल्प के अनुसार वार्षिक किस्तें 2, 3, 4 अथवा 5 हो सकती हैं । पहली किस्त का भुगतान आवेदन—पत्र के साथ करना होगा । दूसरी/बाद की किस्तें अगले/बाद के वर्षों की उसी तिथि को देय होगी। अनुलग्नक 'छ' (जी) में समान वार्षिक किश्तों की राशि उल्लिखत हैं, यदि निर्धारित प्रभार की राशि 100/- रु. हो/आवेदक तद्नुसार देय समान वार्षिक किश्तों की राशि की राशि का हिसाब लगा सकता है ।

टिप्पणी:

इस विवरणिका में अद्यतन और सही सूचना देने का हर सम्भव प्रयास किया गया है। यदि, इस सबके उपरान्त भी जनता के संबंधित सदस्यों को विवरणिका की छपाई में किसी त्रुटि या भूल का पता लगे तो वे उसे संशोधन हेतु लिखित रूप में उप—मुख्य लेखा पाल II / विषठ लेखा अधिकारी (जे.जे.) विकास कुटीर दिल्ली की जानकारी में लाएं। स्लम एवं जे.जे. विभाग, दिल्ली नगर निगम को किसी प्रशासनिक/नीति संबंधी निर्णय अथवा किसी अन्य कारण से आवश्कतानुसार इस विवरणिका में निर्देष्ट किसी भी व्यवस्था को जोड़ने, संशोधन करने, प्रतिस्थापित करने अथवा समाप्त करने का पूर्ण अधिकार है।

column 3 has already agreed to purchase the property is required to be submitted.

Columns 14 & 15

It is necessary to pay up-to-date ground rent along with simple interest @ 10% per annum for arrears, if any, before applying for conversion.

Column 16

The applicant is required to assess the conversion charges carefully on the basis of the formulas given in Annexure 'A'. The notified land rates applicable in respect of plots have been given in Annexure 'C'.

Column 17

Surcharge is required to be paid in the cases where the application is submitted by the attorney of the lessee/ sub-lessee/allottee and conversion is sought in favour of a person other than the allottee/lessee/sub-lessee. The amount of surcharge is 33-1/3% of the prescribed conversion charges.

Column 18

The applicant has been given option to pay the requisite charges i.e. conversion charges as well as additional conversion charges and/or surcharge, wherever applicable, in lump sum or in equated yearly instalments. Simple interest @ 12% per annum will be payable if the applicant opts for payment in instalments. The yearly instalments can be 2, 3, 4 or 5 at the option of the applicant. First instalment shall be required to be paid along with the application. Second/Subsequent instalments shall fall due exactly on the same date of the next/ subsequent year. Annexure 'G' gives the amount of equated yearly instalments, if the prescribed charges come to Rs. 100/-. The applicant can accordingly work out of the amount of yearly equated instalments payable by him/her.

Note:

Every possible care has been taken to give up-to-date and correct information in this brochure. If in spite of all this, any error or omission in the printing of the brochure is detected by the concerned member of public, they should immediately bring the same to the notice of the Dy. Chief Accountant II/Sr. Account Officer (J.J.) Slum & J.J. Department MCD, E Block Vikas Kutir, Delhi in writing for rectification. Slum & J.J. Department, MCD reserves into itself the right to add, modify, substitute or delete any stipulation as contained in this brochure which may, for any administrative/policy decision or for any other reason whatsoever, becomes necessary.

विभिन्न आकारों के प्लाटों के लिए एक कालिक परिवर्तन प्रभार और 500 वर्गमाटर एक से अधिक प्लाटों के लिए प्रस्तावित शुक्क को दर्दिने वाला विवरण :--

500 वर्ग मीटर तक की सम्पतियों के जो कि निम्न प्रकार से ग्रेड स्केल पर परिवर्तन प्रभार का निर्धारण किया गया है:

1.	50 मीटर तक	शून्य

2. 50 से अधिक और 150 तक 50 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए अधिसूचित प्रति वर्ग मीटर भूमि दर का 7.5 प्रतिशत।

(0.075 x आर x (पी-50)

150 मीटर से अधिक और 250 तक
 150 वर्ग मीटर पर लागू परिवर्तन प्रभार जमा
 150 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए अधिसूचित

प्रति वर्ग मीटर का 10 प्रतिशत। (7.5 x आर) + (0.1 x आर (पी-150)

4. 250 से अधिक और 350 तक 250 वर्ग मीटर पर लागू परिवर्तन प्रभार (—) जमा 250 वर्ग मीटर

से अधिक क्षेत्रफल के लिए अधिसूचित प्रति वर्ग मीटर

भूमि दर का 15 प्रतिशत।

(17.5 x आर) +(0.15 x आर x (पी-250)

350 से अधिक और 500 तक 350 वर्ग मीटर पर लागू परिवर्तन प्रभार (–) जमा 350 वर्ग मीटर

से अधिक क्षेत्रफल के लिए अधिसूचित प्रति वर्ग मीटर भूम दर का 20 प्रतिशत।

(32.5 x आर) + (0.2 x आर x (पी-350)

500 वर्ग मीटर से ऊपर प्लाटों पर लगाई जाने वाली प्रस्तावित शुल्क की दरों का विवरण निम्न प्रकार है :

. 500 से अधिक और 750 वर्ग मीटर तक 500 वर्ग मीटर पर लागू परिवर्तन प्रभार — 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए प्रति वर्ग मीटर अधिसूचित

भूमि दर का 25 प्रतिशत।

 62.5 x आर + (0.25 x आर x (पी-500)

 2. 750 से अधिक 1000 वर्ग मीटर तक
 750 वर्ग मीटर पर लाग प्रिकृतिन प्रभार

750 वर्ग मीटर पर लागू परिवर्तन प्रभार-750 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए अधिसूचित प्रति वर्ग मीटर

भूमि दर का 30 प्रतिशत।

(12.5 x आर) + (0.3 x आर x (पी-750)

1000 से अधिक 2000 वर्ग मीटर तक 1000 वर्ग मीटर पर लागू परिवर्तन प्रभार—1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए अधिसूचित प्रति वर्ग मीटर

भूमि दर का 40 प्रतिशत।

(200 x आए) + 0.4 x आर x (네-1000)

2000 वर्ग मीटर से अधिक 2000 वर्ग मीटर पर लागू परिवर्तन प्रभार-अधिक क्षेत्रफल

8

के लिए अधिसूचित प्रति वर्ग मीटर भूमि दर का 50 प्रतिशत

(600 x आर) +0.5 x आर x (पी-2000)

Statement showing one-time conversion fee for various types of plots and the proposed slab of conversion fee for plots with map more than 500 sq. mtrs.

In respect of the properties upto 500 sq. mtrs. the conversion fee has been prescribed on a grade scale as under :-

(i)	Upto 50 sq. mtrs.	Nil
(ii)	Beyond 50 sq. mtrs. upto 150 sq. mtrs.	7.5% of the notified land rates above 50 sq. mtrs. (0.075 x R x (P-50)
(iii)	Above 150 sq. mtrs. upto 250 sq. mtrs.	Conversion charges applicable to 150 sq. mtrs. plus 10% of the notified land rates above 150 sq. mtrs. (7.5 x R) + (0.1 x R (P-150)
(īv)	Above 250 sq. mtrs. upto 350 sq. mtrs.	Coversion charges applicable to 250 sq. mtrs. plus 15% of the notified land rates above 250 sq. mtrs (17.5 x R) + (0.15 x R x (P-250)
(v)	Above 350 sq. mtrs. upto 500 sq. mtrs.	Coversion charges applicable to 350 sq. mtrs. plus 20% of the notified land rates above 350 sq. mtrs (32.5 x R) + (0.2 x R x (P-350)

The rate of conversion fee chargeable in respect of residential properties exceeding 500 sq. mtrs. are proposed as under:-

(i)	Above 500 to 750 sq. mtrs	Coversion charges as applicable to 500 sq. mtrs. plus 25% of the notified land rates for area above 500 sq. mtrs (62.5 x R) + (0.25 x R x (P-500)
(ii)	Above 750 to 1000 sq. mtrs	Coversion charges as applicable to 750 sq. mtrs. plus 30% of the notified land rates for area above 750 sq. mtrs (125 x R) + 0.30 x R x (P-750)
(iii)	Above 1000 to 2000 sq. mtrs	Coversion charges as applicable to 1000 sq. mtrs. plus 40% of the
1		notified land rates for area above 1000 sq. mtrs (200 x R) + 0.4 x R x (P-1000)
(iv)	Above 2000 sq. mtrs	Coversion charges as applicable to 1000 sq. mtrs. plus 50% of the notified land rates for area above 2000 sq. mtrs $(600 \times R) + 0.5 \times R \times (P-2000)$

SCHEDULE OF MARKET RATES OF LAND IN DELHI/NEW DELHI APPLICABLE FOR CONVERSION UPTO 27.12.99

SL. NO.	NAME OF LOCALITY	RESIDENTIAL RATE (RS. PER SQ. METRE)
Zone-II South Delhi	046	
1. 2. 3.	Moti Bagh-II Sriniwaspuri Sunlight Colony	5000/- 4000/- 4000/-
Zone-III West Delhi		
1.	N.G. Road	3000/-
Zone-V East Delhi		
1.	Seelam pur (Shahdara)	1330/-

Note: The localities for which no market rates of land have been indicated above, the market rates of land, shown as above, for the adjoining/comparable locality may be applicable.

क्र. स.

जगह का नाम

रिहायशी मूल्य (Rs. per sq. metre)

क्षेत्र द्वितीय (II) दक्षिणी दिल्ली

मोती बाग—II
 श्री निवास पुरी
 सनलाईट कालोनी

5000/-

4000/-

क्षेत्र तृतीय (III) पश्चिमी दिल्ली

1.

नजफगढ़ रोड

3000/-

क्षेत्र चतुर्थ (V) पूर्वी दिल्ली

1.

सीलमपुर (शाहदरा)

1330/-

टिप्पणी :- जिन स्थानों के लिए ऊपर भूमि की कोई बाजार दर निर्दिष्ट नहीं की है, उन स्थानों के लिए समीपवर्ती / समान स्थान के लिए ऊपर दर्शायी गयी भूमि की बाजार दरें लागू होंगी।

यदि कोई आवेदक एकमुश्त भुगतान नहीं करना चाहता है तो ऐसे मामले में समान वार्षिक किस्तों के आंकलन के लिए एक उदाहरण नीचे दिया है। मान लीजिए परिवर्तन प्रभारों, अतिरिक्त परिवर्तन प्रभार और अधिभार, यदि कोई हों, का भुगतान दायित्वों का एकमुश्त भुगतान 100/-रुपये निकलता है तो ऐसे मामले में पहली और बाद की किस्तों द्वारा देय समान वार्षिक किस्तें निम्नानुसार होंगी:-

1.	यदि आप दो (2) किस्तों में भुगतान करनां चाहते हैं	
	आवेदन-पत्र के साथ देय पहली किस्त की राशि	₹. 52.83
	दूसरी वार्षिक किस्त की राशि	₹. 52.83
2.	यदि आप तीन (3) किस्तों में भुगतान करना चाहते हैं	
	आवेदन-पत्र के साथ देय पहली किस्त की राशि	₹. 37.18
	द्वितीय तथा तृतीय प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि	₹. 37.18
3.	यदि आप चार (4) किस्तों में भुगतान करना चाहते हैं	
	आवेदन-पत्र के साथ देय पहली किस्त की राशि	₹. 29.40
	दूसरी, तीसरी और चौथी वार्षिक किस्त (प्रत्येक)	₹. 29.40
p		
4.	यदि आप पांच (5) किस्तों में भुगतान करना चाहते हैं	
	आवेदन-पत्र के साथ देय पहली किस्त की राशि	₹. 24.77
	दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी वार्षिक किस्त (प्रत्येक)	₹. 24.77

यह नोट करें कि यदि किस्त का भुगतान 01–12–99 को किया जाता है तो दूसरी और बाद की किस्त निश्चित रूप में 01–12–2000, 01–12–2001 को देय होगी इसी प्रकार आगे, जैसी भी स्थिति हो।

(समान वार्षिक किस्त द्वारा भुगतान राशि पर 12% वार्षिक ब्याज देय होगा)

Given below is an illustration of calculating equated annual instalments, if an applicant does not wish to pay in lump sum. Suppose, the liability to pay conversion charges, additional conversion charges and surcharge if any works out to Rs. 100/- in lump sum, equated annual instalments payable by way of first and subsequent instalments will be as follows:-

(i)	If you plan to pay in two (2) instalments amount of I instalmanet	Rs. 52.83
	payable along with application	
	Amount of II annual instalment	Rs. 52.83
(ii)	If you plan to pay in three (3) instalments,	
	Amount of I instalment payable along with application	Rs. 37.18
	Amount of II and III annual instalments, each.	Rs. 37.18
(iii)	If you plan to pay in four (4) instalments,	
	Amount of I instalment payable along with application	Rs. 29.40
	Amount of II, III and IV annual instalments, each.	Rs. 29.40
(iv)	If you plan to pay in five (5) instalments,	
	Amount of I instalment payable along with application	Rs. 24.77
	Amount of II, III, IV and V annual instalments, each.	Rs. 24.77

It may be noted that, if first instalment is paid on 01.12.99, the second and subsequent instalment will be payable strictly on 01.12.2000, 01.12.2001 and so on as the case may be.

(Amount paid by way of equated instalments carries an interest of 12% per annum).

UNDERTAKING

-	S/o, W/o, D/o Sh	Transfer of the second
		resident of
	do hereby unde	ertake as under :-
by it on account of arr	eares of ground rent and / or in Block no	ediately on demand, such amount as may be demand interest thereon, in respect of plot/flat/tenement r
Pkt	in	
	and J.J. Department, MCD, imme enance/service charges (applica	ediately on demand, such amount, as may be demand ble only in case of flats).
may be decided upon by enhanced on reference of	the lessor on account of comper	ums towards premium of the above referred property, nsation awarded by the Land Acquisition Collector bei on of the lessor in this behalf shall be final and binding in auction).
and the same of the same of the same	operty shall be deemed to be no	version of lease hold rights into free hold rights in resp ull and void and the lessor/Authority shall be entitled
and in order or professional	part thereof is being used for no	ny other local Authority, at any point of time, that the about the residential purpose, in voilation of the Master Plan
Executed by me at Delhi	/New Delhi on this	
day of	199	
		Lessee/sub-lessee/Allottee/
		Purchaser.

वचन-बन्ध

		पुत्र/पुत्री/पर
	निवासी	
एतदृद्वारा सत्यनिष्ठा	से निम्न लिखित वचन देता / देती हूँ	
1. कि मैं	के पा	केट ब्लॉ
i	के प्लाट/फ्लैट सं.	/मकान सं
म्बन्ध में भू-भाटक की बव	गया और / अथवा उस पर लगे व्याज की राशि	का स्लम एवं जे.जे विभाग, दि.न.नि. को उसके द्वारा मांगे जाने
त्काल भुगतान कर दूंगा/	दूंगी।	
	जे विभाग, दि.न.नि. को रखरखाव / सेवा प्रभार के फ्लैटों के मामलों में लागू)	रूप में उसके द्वारा मांगी जाने वाली राशि का तत्काल भुगतान व
जाने पर, पट्टाकत निर्धारित अवधि के	f द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उपर्युक्त सम्पति	रूप में कहने अथवा अपील किए जाने अथवा दोनों स्थितियों में बढ़ ते के प्राशुल्क के रूप में निर्धारित मांगी गई राशि अथवा राशियों प्रकर्ता का निर्णय अन्तिम होगा और मेरे लिए बाध्यकारी होगा (नील
	न अकृत और शून्य माना जाएगा और पट्टाकर्ता /	में उपर्युक्त सम्पति के संबंध में लीज—होल्ड अधिकारों का फ्री—हो रिस्तम एवं जे.जे विभाग, दि.न.नि. को भूमि राजस्व के बकाया के र
	का प्रयोग दिल्ली की मुख्य योजना का उल्लंघन व	प्राधिकरण द्वारा किसी समय यह पाया गया कि उपर्युक्त सम्पति करके गैर—रिहायशी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तो मैं तत्क
आज	ф	के
	री में निष्पादित किया गया।	
		पट्टेदार/उप-प ट्टेदार/आ बंटिती/ब्रे
	स्थिति में	पट्टेदार/ उप–पट्टेदार/आबं टिती/ब्र
देन को दिल्ली/नई दिल्ल	रिथति में	पट्टेदार/उप-प <mark>ट्टेदार/आबं</mark> टिती/ब्रे

AFFIDAVIT

ter and a second	S/o, D/o, W/o Sh		
r/oas under :-		do hereby so	olemnly affirm and declare
as under :-			
That I am the lessee/sub-lessee/allotte in Block noPkt			no
	OR		
That I am in physical possession, unde in my favour in respect of the plot/fit	at/tenament no		in Block no.
That the prescribed use of the afor residential.	resaid property, as per	r the lease/sub-lease/le	etter of allotment is only
That there is no unauthorised Construction	ction in the aforesaid pro	operty.	
	OR		
That there is unauthorised construction	n in the aforesaid proper	rty as described below:	
That the above referred property is be	ing used only for resider	ntial purpose.	
	OR		
That a portion measuring property is being used for by the occupant of the premises in c non-residential use. Rest of the prope	conformity with the provi	isions of Master Plan of	(purpose)
That I or my wife/husband/depend- any residential plot/flat in the Union plot/flat in the Union Territory of D children/dependent relations/pare Cooperative Group Housing Society favour of a person other than the le	n Territory of Delhi nor elhi during the last 10 nts have membership y in Delhi. (This para	have sold any Lease! years nor do I or my of any Cooperative is applicable only if	sub-lease hold residential wife/husband/dependent House Building Society/
That up-to-date ground rent has been	paid in respect of the al	bove referred property.	
That the contents of the accompanying of the above referred property are true			E-E-MA
44 - 44-20-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10	DE	PONENT	
RIFICATION			1200 37720 37 000000000000000000000000000
Verified at Delhi this ove affidavit are correct to my knowledge	day of	1999	that the contents of the
iled therefrom.	and belief. Nothing con	italied fieldir is unified a	and nothing material is con
		DEPONENT	

शपथ-पत्र

(यह शपथ-पत्र उस व्यक्ति द्वारा दिया जाए, जिसके पक्ष में परिवर्तन किया जाना है। यह शपथ-पत्र 2/- रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इस नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से विधिवत साक्ष्यांकित करवाया जाए।)

	म,	पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवार	सी	
		प्रतिज्ञात और घोषणा करता / करती हूँ:-
	1. कि मैं	के पाकेट
सं. /	'मकान सं क	। पट्टेदार/उप पट्टेदार/आबंटिती हूं और मेरे पास उपर्युक्त प्लाट/पलैट का वास्तविक कब्जा है।
		अथवा
	कि मेरे पास	के पाकेट
ब्लॉक	सं	के प्लाट/प्लैट सं./मकान सं.
के स		
2.	कि पट्टे/उप पट्टे/आबंटन प	त्र के अनुसार उपर्युक्त सम्पति का निर्धारित उपयोग केवल रिहायशी है।
3.	कि पूर्वोक्त सम्पति में कोई अनधि	
		अथवा
	कि पूर्वोक्त सम्पति में कोई अनधि	कृत निर्माण किया गया है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।
के रि	उपर्युक्त सम्पति के आवृत क्षेत्रफल अर निर्धारित दिल्ली की मुख्य योज	केवल रिहायशी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। अथवा के वर्ग मी. भाग का उपयोग गैर रिहायशी उपयोग ना के उपबंधों के अनुसार परिसर के कब्जेदार द्वारा ति के शेष भाग का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।
कि ए के रि	उपर्युक्त सम्पति के आवृत क्षेत्रफल हैं भए निर्धारित दिल्ली की मुख्य योज जन) के लिए किया जा रहा है। सम्प कि मेरे अथवा मेरी पत्नी / मेरे पति आंशिक रूप से कोई रिहायशी प्ल पट्टा / उप पट्टा धारिता रिहायश / माता—पिता के पास दिल्ली में हि	अथवा के
कि उ के हि (प्रयोग	उपर्युक्त सम्पति के आवृत क्षेत्रफल क्षेत्र निर्धारित दिल्ली की मुख्य योज जन) के लिए किया जा रहा है। सम्प कि मेरे अथवा मेरी पत्नी / मेरे पति आंशिक रूप से कोई रिहायशी प्ल पट्टा / उप पट्टा धारिता रिहायश / माता—पिता के पास दिल्ली में तिभी लागू होगा, यदि परिवर्तन प	अथवा वर्ग मी. भाग का उपयोग गैर रिहायशी उपयोग ता के उपबंधों के अनुसार परिसर के कब्जेदार द्वारा ति के शेष भाग का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। / आश्रित बच्चों / आश्रित सम्बन्धियों / माता — पिता के पास संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पूर्ण रूप से अथवा ाट / एलैट नहीं है और न ही हममें से किसी ने पिछले 10 वर्षों के दौरान संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कोई गी प्लाट / एलैट बेचा है और न ही मेरे अथवा मेरी पत्नी / मेरे पति / आश्रित बच्चों / आश्रित सम्बन्धियों
कि उ के हि (प्रयोग 5.	उपर्युक्त सम्पति के आवृत क्षेत्रफल निर्मारित दिल्ली की मुख्य योज जन) के लिए किया जा रहा है। सम्प कि मेरे अथवा मेरी पत्नी/मेरे पति आशिक रूप से कोई रिहायशी प्ल पट्टा/उप पट्टा धारिता रिहायश / माता—पिता के पास दिल्ली में ि तभी लागू होगा, यदि परिवर्तन प कि उपर्युक्त सम्पति के अद्यतन भ	अथवा के
कि उ के हि (प्रयोर 5.	उपर्युक्त सम्पति के आवृत क्षेत्रफल कर निर्धारित दिल्ली की मुख्य योज जन) के लिए किया जा रहा है। सम्प कि मेरे अथवा मेरी पत्नी/मेरे पति आंशिक रूप से कोई रिहायशी प्ल पट्टा/उप पट्टा धारिता रिहायश / माता—पिता के पास दिल्ली में ति तभी लागू होगा, यदि परिवर्तन प कि उपर्युक्त सम्पति के अद्यतन व सही एवं सत्य हैं और संलग्न दर	अथवा के
कि उ के हि (प्रयोर 5.	उपर्युक्त सम्पति के आवृत क्षेत्रफल क्षेत्र निर्धारित दिल्ली की मुख्य योज जन) के लिए किया जा रहा है। सम्प कि मेरे अथवा मेरी पत्नी / मेरे पति आंशिक रूप से कोई रिहायशी प्ल पट्टा / उप पट्टा धारिता रिहायश / माता—पिता के पास दिल्ली में तिभी लागू होगा, यदि परिवर्तन प कि उपर्युक्त सम्पति के अद्यतन के उपर्युक्त सम्पति के सम्बन्ध में सही एवं सत्य हैं और संलग्न दर सत्यापन:	के
कि ए के हि (प्रयोर 5.	उपर्युक्त सम्पति के आवृत क्षेत्रफल निर्धारित दिल्ली की मुख्य योज जन) के लिए किया जा रहा है। सम्प कि मेरे अथवा मेरी पत्नी / मेरे पति आंशिक रूप से कोई रिहायशी प्ल पट्टा / उप पट्टा धारिता रिहायश / माता—पिता के पास दिल्ली में तिभी लागू होगा, यदि परिवर्तन प कि उपर्युक्त सम्पति के अद्यतन विक उपर्युक्त सम्पति के सम्बन्ध में सही एवं सत्य हैं और संलग्न दर सत्यापन:	अथवा के

अभिसाक्षी -

(To be executed by the applicant on Non-judicial stamp paper of Rs. 101- and to be attested by Notary Public/First Class Magistrate.)

INDEMNITY BOND

1.4	xecuted on this	by Sh./Smt./Km.
S/o, W/o, D/o Sh		
r/o		(hereinafter called the 'Executant' which term
	artment, MCI	excutors, administrators and legal assigns in favour of President of D. (hereinafter called the 'lessor') which term shall include its heirs d legal assigns.
WHEREAS the Executa	ant is the less	see/sub-lessee/allottee in physical possession of the plot/flat No. Pkt in
		OR
WHEREAS the Executa	ant is the duly	constituted attorney of Sh./Smt./Km.
S/o. W/o. D/o Sh.		in Block No
Pkt.	in	and is competent to seek sale
permission, execute the s	sale deed and g	get it registered on behalf of the lessee/sub-lessee/allottee.
AND WHEREAS the Ex		pplied to the lessor for conversion of lease hold rights into freehold roperty.
rights in respect of the indemnity, as is herein	above referre after containe	aith and representation made to it, has agreed to convert leasehold and property into freehold rights subject to the Executed giving such and keeping the lessor harmless from any claim which anyone assor in respect of the above referred property.
respect of the above r	eferred prope times indemi and proceed	isideration of the lessor agreeing to convert the leasehold rights in erty into freehold rights, the executant hereby convenants with the nify and keep harmless the said lessor from all claims and demanda ings taken against the said lessor by anyone in respect of the n any ground whatsoever.
		mt./Km S/o, W/o
aforesaid property o any In witness whereof the Ex	xecutant Sh./Si	
In witness whereof the Ex		has signed and delivered this bon
aforesaid property o any In witness whereof the Ex		has signed and delivered this bone

2.

(क्षतिपूर्ति बंध-पत्र 10 / -रु. के नॉन-ज्यूरि	डेशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्व	ारा निष्पादित किया जाए और	इसे नोटरी पब्लिक / प्रथम श्रेणी
मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्यांकित भी करवाया जाए।)			
	क्षतिपूर्ति बंध-पः	त्र	
यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र आज सन्		के	मास
के			
पुत्र/पत्नी/पुत्री			
निवासी			
(जिसे आगे "निष्पादक" कहा गया है) द्वारा और कानूनी समनुदेशिती शामिल हैं। यह क्षतिपूरि गया है) के पक्ष में किया गया है। पट्टाकर्ता शब्द	र्ते बंध-पत्र भारत के राष्ट्रपति/स्ल	ाम एवं जे. <mark>जे विभाग, दि</mark> .न.नि	. (जिन्हें आगे "पट्टाकर्त्ता" कहा
जबिक निष्पादक	के पाके	č	के ब्लाक
₹			
पट्टेदार/आबंटिती है और उसके पास उक्त प			15 5
	अथवा		
्र जबिक निष्पादक	के पाके	Z	के ब्लाक
सं			
श्री / श्रीमती / कुमारी			
विधिवत नियत अटर्नी है और पट्टेदार/उप पट्	TREE PROBERTIES IN THE PROPERTY AND THE		
पंजीकृत कराने के लिए सक्ष्म हैं।			
और जबिक निष्पादक ने उपर्युक्त सम्पति निष्पादक उक्त अधिकार बदलने के कारण पट्टाव पट्टाकर्ता के विरुद्ध किये गये दावे के कारण प	कर्ता को होने वाली क्षति / हानि की	पूर्ति करेगा और इस कारण वि	
अब यह विलेख साक्षी है कि जबकि पट्टाव हो गया है, और निष्पादक एतद्द्वारा पट्टाकर्ता सम्बन्ध में किसी भी आधार पर किये गये सभी दा कार्यवाहियों के कारण होने वाली हानि की क्षतिपृ	से सहमत हो गया है कि वह किसी वों और मांगों तथा किसी व्यक्ति द्व	ो भी कारणवश उपर्युक्त सम् ारा उक्त पट्टाकर्ता के विरुद्ध	पति अथवा उसके किसी भाग के
.इसके साक्ष्यस्वरूप निष्पादक श्री / श्री	मिती / कुमारी		सुपुत्र
/ पत्नी / पुत्री			33
	>		ध_पत्र पर हस्ताभर कर टिगे
हैं तथा बंध-पत्र जारी कर दिया है ।)		2 10 15 63000 25 144
CAST AND AND AND THE CAST			
साक्षी :			निष्पादक

1

(यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र उसं व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाए जिसके पक्ष में परिवर्तन किया जाना है। यह बंध-पत्र 10 रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे नोटरी पब्लिक / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्यांकित भी करवाया जाए।)

क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

	3111 8111	contrat of the	
यह क्षरि	तेपूर्ति बंध–पत्र आज सन्	के	मास
के	दिन को श्री/	श्रीमति / कुमारी	
पुत्र/पत्नी/पु	রী		
निवासी	1.7		
(जिसे अ	ागे ''निष्पादक'' कहा गया है) द्वारा निष्पादित कि <mark>या</mark> गया है	। 'निष्पादक' शब्द में निष्पादक	के वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक
और कानूनी स	मनुदेशिती शामिल हैं। यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र भारत के र	ष्ट्रपति / स्लम एवं जे.जे विभा	ग, दि.न.नि. (जिन्हें आगे "पट्टाकर्ता" कहा
गया है) के पक्ष	त में किया गया है। 'पट्टाकर्ता' शब्द में पट्टाकर्ता के वा	रिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक,	प्रशासक और कानूनी समनुदेशि ती शामिल
हैं।			
		A>-	
	निष्पादक		
	के प्लाट/प्रलैट सं		दिनोक
का ।नष्यादत	बैध 'विक्रय करने के करार' के अन्तर्गत वास्तविक कब्ज	51	
अधिकार में बद	विक पट्टाकर्ता किये गये आवेदन की सत्यनिष्ठा पर वि त्लने के लिए सहमत हो गया है बशर्ते कि निष्पादक उक्त त कारण किसी भी समय किसी व्यक्ति द्वारा पट्टाकर्ता के	अधिकार बदलने के कारण पर	ट्टाकर्ता को होंने वाली क्षति / हानि की पूर्ति
हो गया है, औ सम्बन्ध में किर	विलेख साक्षी है कि जबकि पट्टाकर्ता उपर्युक्त सम्पति । र निष्पादक एतद्द्वारा पट्टाकर्ता से सहमत हो गया है सी भी आधार पर किये गये सभी दावों और मांगों तथा कि के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करेगा और पट्टाव	कि वह किसी भी कारणवश उ सी व्यक्ति द्वारा उक्त पट्टाकर	पर्युक्त सम्पति अथवा उसके किसी भाग के र्ता के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाईयों और
दसके	साक्ष्यस्वरूप निष्पादक श्री/श्रीमती/कुमारी	स	पत्र / पत्नी / पत्नी
	, 5	A CONTRACTOR OF STREET, STREET	THE THE RESERVED TO STAND FRANCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P
	दिन को इस बंध-पत्र		
साक्षी :			निष्पादक
1.			

2.



(To be executed by the person in whose favour conversion is required on Non-judicial stamp paper of Rs. 167- and to be attested by Notary Public/First Class Magistrate.)

INDEMNITY BOND

This Indemnity bond is executed on this	day of	199
by Sh./Smt./Km.	S/o, W/o, D/o Sh	
the 'Executant' which term shall include his/her heirs assigns in favour of President of India/Slum and J.J. which term shall include its heirs, successors, executors a	s, successors, excutors, administration Department, MCD, (hereinafter of	
WHEREAS the Executant is in physical possession of t	he plot/flat No.	in Block No.
Pkt. inexecuted i		under a
valid agreement to sell dtexecuted i	n his/her favour.	
AND WHEREAS the lessor, on the faith and represent rights in respect of the above referred property into from indemnity, as is hereinafter contained, and keep the least any time, institute against the lessor in respect of the above.	reehold rights subject to the Execusion essor harmless from any claim w	cutant giving such
NOW THIS DEED WITNESSES that in consideration rights in respect of the above referred property into with the lessor that he will at all times indemnify and demands made and all actions and proceedings take of the aforesaid property or any part thereof, or any ground	freehold rights the executant has keep harmless the said lessor from the against the said lessor by a	ereby convenants om all claims and
In witness whereof the Executant Sh./Smt./Km.		
S/o, W/o, D/o of Sh.	has signed and o	delivered this bond
on this day of 199		
Executant		
Witness:		
1.		
2.		

ANNEXURE'P' अनुलग्नक 'पी'

SPECIMEN SIGNATURES AND PASSPORT SIZE PHOTOGRAPHS OF THE PERSON IN WHOSE FAVOUR CONVERSION IS SOUGHT DULY ATTESTED BY NOTARY/FIRST CLASS MAGISTRATE

(व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर तथा परिपन्न आकार का छायाचित्र जिसके पक्ष में परिवर्तन किया जाना है, का नोटेरी / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेंट द्वारा सत्यापित हों)

- PPHUGHU	n No / Ulsi HI Uni vitesiii -		Property No. /	सम्पात स	
	कालोनी		. Toperty Ho. 7		
Colony /	anch'ii				
1			Г		
	(Specimen signature) (नमून		ttestation	52	
-			सत्यापित		
2					
59.0	(Specimen signature) (नमून	ा हस्ताक्षर) A	ttestation		
			सत्यापित	The second second	
3.					
J	(Specimen signature) (नमून	ग हरनाधर े	ttestation		
	(opecimen signature) (17		सत्यापित		
			MAIIAM		
4			Г		
	(Specimen signature) (नमून		Attestation		
			सत्यापित		
p नोट :- य	notographs of person name दि प्रार्थी आवटी / उप-पट्टेदा	b-lessess/lessee, then his/he d in Column 3 of the applicat र/पट्टेदार है तो उसके/उसर्क व्यक्ति के छायाचित्रों को उपयुव	ion form are required ो छायाचित्रों तथा दूसरी	to be sumbitted as a तरफ प्रार्थी एक अटॉर्न	above.
p नोट :- य	notographs of person name दि प्रार्थी आवटी / उप-पट्टेदा	d in Column 3 of the applicat र/पट्टेदार है तो उसके/उसकी	ion form are required ो छायाचित्रों तथा दूसरी	to be sumbitted as a तरफ प्रार्थी एक अटॉर्न	above. िहो, तो प्रा
p नोट :- य	notographs of person name दि प्रार्थी आवटी / उप-पट्टेदा	d in Column 3 of the applicat र/पट्टेदार है तो उसके/उसकी	ion form are required ो छायाचित्रों तथा दूसरी	to be sumbitted as a तरफ प्रार्थी एक अटॉर्न	above. हिं, तो प्रा
p नोट :- य	notographs of person name दि प्रार्थी आबंटी / उप—पट्टेदा रॉलम तीन में दिए गए नाम के	d in Column 3 of the applicat र/पट्टेदार है तो उसके/उसर्क व्यक्ति के छायाचित्रों को उपयुव	ion form are required ो छायाचित्रों तथा दूसरी त तौर पर पेश किया ज	to be sumbitted as a तरफ प्रार्थी एक अटॉर्न ान चाहिए।	above. हिं, तो प्रा
p नोट :- य	notographs of person name दि प्रार्थी आबंटी / उप—पट्टेदा रॉलम तीन में दिए गए नाम के	d in Column 3 of the applicat र/पट्टेदार है तो उसके/उसकी	ion form are required ो छायाचित्रों तथा दूसरी त तौर पर पेश किया ज	to be sumbitted as a तरफ प्रार्थी एक अटॉर्न ान चाहिए।	above. हिं, तो प्रा
p नोट :- य	notographs of person name दि प्रार्थी आबंटी / उप—पट्टेदा रॉलम तीन में दिए गए नाम के	d in Column 3 of the applicat र/पट्टेदार है तो उसके/उसकी व्यक्ति के छायाचित्रों को उपयुव	ion form are required ो छायाचित्रों तथा दूसरी त तौर पर पेश किया ज	to be sumbitted as a तरफ प्रार्थी एक अटॉर्न ान चाहिए।	above. हिं हो, तो प्रा Ani अनुलग्नव
p नोट :- य	notographs of person name दि प्रार्थी आबंटी / उप—पट्टेदा रॉलम तीन में दिए गए नाम के	d in Column 3 of the applicat र/पट्टेदार है तो उसके/उसकी व्यक्ति के छायाचित्रों को उपयुव	ion form are required ो छायाचित्रों तथा दूसरी त तौर पर पेश किया ज	to be sumbitted as a तरफ प्रार्थी एक अटॉर्न ान चाहिए।	above. ि हो, तो प्रा Ani अनुलग्नव
p नोट :- य	notographs of person name दि प्रार्थी आबंटी / उप-पट्टेदा रॉलम तीन में दिए गए नाम के	d in Column 3 of the applicat र/पट्टेदार है तो उसके/उसकी व्यक्ति के छायाचित्रों को उपयुव ETAILS OF PAYMENT भूमि के किराए की 3	ion form are required ो छायाचित्रों तथा दूसरी त तौर पर पेश किया ज	to be sumbitted as a तरफ प्रार्थी एक अटॉर्न ान चाहिए।	above. िहो, तो प्रा Ani अनुलग्नव
pl नोट :- य क	notographs of person name दि प्रार्थी आबंटी / उप-पट्टेदा गॅलम तीन में दिए गए नाम के D Challan No.	d in Column 3 of the applicat र/पट्टेदार है तो उसके/उसकी व्यक्ति के छायाचित्रों को उपयुव ETAILS OF PAYMENT भूमि के किराए की 3 Date of Deposit	ion form are required ो छायाचित्रों तथा दूसरी त तौर पर पेश किया ज OF GROUND F विवासी का विवरण	to be sumbitted as a तरफ प्रार्थी एक अटॉर्न ान चाहिए। RENT.	above. िहो, तो प्रा Ani अनुलग्नव
pl नोट :- य क	notographs of person name दि प्रार्थी आबंटी / उप-पट्टेदा रॉलम तीन में दिए गए नाम के D Challan No.	d in Column 3 of the applicat र/पट्टेदार है तो उसके/उसकी व्यक्ति के छायाचित्रों को उपयुव ETAILS OF PAYMENT भूमि के किराए की 3	ion form are required ो छायाचित्रों तथा दूसरी त तौर पर पेश किया ज OF GROUND F	to be sumbitted as a तरफ प्रार्थी एक अटॉर्न ान चाहिए।	above. ि हो, तो प्रा Ani अनुलग्नव
pl नोट :- य क	notographs of person name दि प्रार्थी आबंटी / उप-पट्टेदा गॅलम तीन में दिए गए नाम के D Challan No.	d in Column 3 of the applicat र/पट्टेदार है तो उसके/उसकी व्यक्ति के छायाचित्रों को उपयुव ETAILS OF PAYMENT भूमि के किराए की 3 Date of Deposit	ion form are required ो छायाचित्रों तथा दूसरी त तौर पर पेश किया ज OF GROUND F विवासी का विवरण	to be sumbitted as a तरफ प्रार्थी एक अटॉर्न ान चाहिए। RENT.	above. िहो, तो प्रा Ani अनुलग्नव
pl नोट :- य क	notographs of person name दि प्रार्थी आबंटी / उप-पट्टेदा गॅलम तीन में दिए गए नाम के D Challan No.	d in Column 3 of the applicat र/पट्टेदार है तो उसके/उसकी व्यक्ति के छायाचित्रों को उपयुव ETAILS OF PAYMENT भूमि के किराए की 3 Date of Deposit	ion form are required ो छायाचित्रों तथा दूसरी त तौर पर पेश किया ज OF GROUND F विवासी का विवरण	to be sumbitted as a तरफ प्रार्थी एक अटॉर्न ान चाहिए। RENT.	above. िहो, तो प्रा Ani अनुलग्नव